न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म.प्र.)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

पुनरीक्षण क्रमांक ....[illegible]/14

निगरानी 1213-III-14

1342

8/40 5-12-14

1- रामदीन तेजा परौहा तनय स्व. रामसमुझ परौहा, उम्र 64 वर्ष, पेशा खेती व सेवा निवृत्त।

2- कमलेश प्रसाद परौहा तनय स्व. ददोली प्रसाद परौहा उम्र 48 वर्ष पेशा खेती व नौकरी दोनों निवासी ग्राम वीरखाम पोंड़ी टोला तहसील व थाना सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.)

......आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1- उषा सिंह पत्नी गोकरण सिंह, निवासी ग्राम बीरखाम (कुर्मियान टोला) तहसील व थाना सेमरिया जिला रीवा (म.प्र.)

2- म.प्र. राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा ।

......अनावेदक/गैरपुनरीक्षणकर्ता

श्री..[illegible] द्विवेदी एड. द्वारा आज दि. 5.12.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल शाहपुर तसहील सेमरिया जिला रीवा प्रकरण क. 11 अ 12/13-14 जो कि पटवारी प्रतिवेदन की पुष्टि की गई।

3895

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

6-12-14

1- राजस्व निरीक्षक का सीमांकन पुष्टिकरण का आदेश दिनांक 06.07.2014 सर्वथा विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्तगी योग्य है।

2- सीमांकन के लिए जो प्रावधान 129 म.प्र. भू. राजस्व संहिता में है उस प्रावधान का पालन नहीं किया गया। सीमांकन मूल्यतः भूमि नं. 143 /1 क के सम्बंध में चाहा गया था। ऐसी स्थिति में भूमि नं. 143 के सभी उपखण्ड धारी व खातेदारों को पक्षकार बना कर लिखित सूचना देकर सीमांकन की कार्यवाही करना चाहिए।

रामदीन परौहा

कमलेश प्रसाद

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. नि-1342/III/14 ...... जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-8-15	प्रकरण में आवेदक अभि० श्री शिवप्रसाद द्विवेदी को सुना गया। उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण में विवाद सीमांकन से संबंधित है, जिसमें सीमांकन के समय तथा दिनांक से आवेदक सहित सरहदी काश्तकारों को सूचना नहीं दी गई और न ही उन्हें सीमांकन के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को पक्षकार भी नहीं बनाया गया। अतः प्रकरण ग्राह्य कर सीमांकन कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचारोपरांत तथा राजस्व निरीक्षक के रा०प्र० क्र० 111 अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 6-7-14 का अवलोकन किया गया जिसके द्वारा सीमांकन कार्यवाही दिनांक 3-7-14 की पुष्टि की गई है। प्रकरण में विवादित आदेश दिनांक 6-7-14 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों को सूचना देकर तथा सरहदी काश्तकारों को सूचना देकर विधिवत संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के तहत पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। सदस्य	